


उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या-705/पाँच-5-2021
लखनऊ दिनांक: 14 अप्रैल 2021
कार्यालय-ज्ञाप

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एम0ई0-1/2021/1558 दिनांक 12.04.2021 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या-एन0एच0एस0आर0सी0/20-21/ई0डी0सेक0/कोविड-19/05, दिनांक 28.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रोगियों को बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3, सन् 1897) की धारा-2 के अधीन निर्गत उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेज को एतद्वारा पूर्णतः डेडिकेटेड "कोविड-19" चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0स0	कालेज	श्रेणी
1.	स्कूल ऑफ मेडिकल साईंसेज, ग्रैंटर नोएडा।	एल-3
2.	नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, गौतमबुद्धनगर।	एल-2

2- उक्त मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में कोविड मरीजों की चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत की निर्धारित दरों पर पूर्ववत् किया जाएगा। यह आदेश उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम-2020 के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

3- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-705(1)/पाँच-5-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- (4) मण्डलायुक्त, मेरठ, उ0प्र0।
- (5) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
- (6) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, /परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (8) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
- (9) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज उ0प्र0, लखनऊ।
- (10) निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (11) प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ मेडिकल साईंसेज, ग्रैंटर नोएडा।
- (12) प्रधानाचार्य, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेज, गौतमबुद्धनगर।
- (13) अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ, उ0प्र0।

- (14) मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।